

6.3.1 The institution has performance appraisal system, effective welfare measures for teaching and non-teaching staff and avenues for career development/progression

Teachers who have been promoted through CAS during last 5 years

(A) Level 13A to 14

- (1) Dr Seema Teotia, Physics Department
- (2) Dr Mohd Arshad Rizvi, Urdu Department
- (3) Dr Surendra Singh Yadav, Chemistry Department
- (4) Dr Meenakshi Gupta, Psychology Department
- (5) Dr Sahdev, Chemistry Department
- (6) Dr Deepa Agarwal, Economics Department

(B) Level 11 to 12

- (1) Dr Suman Lata
- (2) Dr Hitendra Kumar Singh
- (3) Dr Vinai Kumar Sharma
- (4) Dr Ram Kishore Sagar
- (5) Dr Baby Tabassum
- (6) Dr Kusum Lata

(C) Level 10 to 11

- (1) Dr M P S Yadav
- (2) Dr Zubair Anees
- (3) Dr Surendra Kumar Gautam
- (4) Dr Arvind Kumar
- (5) Dr Vijata Gautam

TEACHING FACULTY CR FORM

राजकीय रज्ञा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर

गोपनीय आख्या प्रपत्र
वर्ष— 200 — 200

1. शिक्षक का नाम
2. जन्मतिथि
3. शैक्षिक योग्यता प्रतिशत सहित
(स्नातकोत्तर डिग्री / शोध डिग्री एवं अन्य)
4. गृह जनपद
5. राजकीय सेवा में अविरल नियुक्ति की तिथि
6. जनपद का नाम जहाँ कार्य कर रहे हैं कार्य करने की अवधि
7. वर्तमान धारित पद एवं वेतनमान
8. नियुक्ति की प्रकृति (परिवीक्षाकाल / अस्थायी एवं स्थायी)
9. आख्या गत वर्ष में विभिन्न पदों एवं वेतनमान में कार्य करने एवं आख्या देने वाले अधिकारी का नाम एवं पद

शिक्षक का नाम एवं पद	अवधि		वेतनमान	अधिकारी का नाम व पद जिसके अधीन कार्य किया है
	से	तक		
1	2	3	4	5

10. सम्पूर्ण शिक्षण अनुभव

अ. स्नातक

वर्ष

ब. स्नातकोत्तर

वर्ष

11. आकस्मिक अवकाश को छोड़कर आख्यागत वर्ष में यदि कोई अवकाश लिया हो तो उसका

विवरण : से तक

विभाग प्रभारी के प्रतिफल्तकार

दिनांक

मोहर

अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

अधिकारी / शिक्षक का आत्ममूल्यांकन

अ. शिक्षण में योगदान :

1. संस्थागत शिक्षण

कक्षा	सत्र में आवंटित व्याख्यान L T/P	सत्र में दिये गये व्याख्यान L T/P	दीर्घ अवकाश की अनुपस्थिति अवधि में आवंटित प्रश्नपत्रों को पढ़ाए जाने के सम्बन्ध में आप द्वारा किये गए प्रयास	अध्यापित विषय का प्रतिशत परीक्षाफल एवं प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5
स्नातक (प्रश्नपत्रार उल्लेख करें)				
स्नातकोत्तर (प्रश्नपत्रार उल्लेख करें)				

L = Lecture T = Tutorial P = Practical

2. (1) व्यवसायिक दक्षता में सुधार :

(अभिविन्यास / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रतिभागिता सेमीनार / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में प्रतिभागिता अथवा आयोजन एफ0आई0पी0 में शोध कार्य हेतु चयन शोध संस्थानों की सदस्यता आदि)

(2) अकादमिक / उच्च शिक्षा समितियों की सदस्यता : (बोर्ड आफ स्टडीज रिसर्च डिग्री कमेटी, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित समितियाँ, अकादमिक संस्थाओं की फेलोशिप आदि)

(3) कम्प्यूटर कार्य में प्रवीणता (Proficiency in Computer) एवं आख्यागत वर्ष में कम्प्यूटर में प्राप्त प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / पूर्ण किया गया पाठ्यक्रम

(4) महाविद्यालय में किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम / Add on Course संचालित करने में योगदान

b. शोध में योगदान

1. आपके निर्देशन में शोध हेतु पंजीकृत छात्रों की संख्या
2. यदि आप स्वयं शोधरत हैं तो पंजीकरण का वर्ष एवं शोध का शीर्षक अंकित करें
3. आख्यागत वर्ष में शोध उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या
4. आख्यागत वर्ष में प्रकाशित पुस्तक शोध पत्र, लेख, सेमीनार में प्रस्तुत शोध पत्र आदि का विवरण
5. आख्यागत वर्ष में प्राप्त पुरस्कार, सम्मान, पदक का विवरण
6. शोध परियोजनाओं का विवरण

शोध परियोजना का शीर्षक	निधि प्रदान करने वाले अभिकरण / एजेन्सी का नाम	शोध की अवधि एवं वर्तमान स्थिति

3. प्रसार कार्य (Extension Work) / सामुदायिक सेवा (Community Service)

अ. **सामुदायिक कार्यों में सहभागिता** (राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, मानवाधिकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय मूल्यों का संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण दैवी आपदा में राहत कार्य, सामाजिक / सांस्कृतिक चेतना का प्रसार, राष्ट्रीय मिशन (Pulse Polio/ National Literacy Mission etc.) NGO, में संलग्नता एवं छात्रों की संलग्नता को अभिप्रेरित करना)

ब. **नेतृत्व क्षमता का विकास एवं साहसिक कार्यों का संचालन :** (राष्ट्रीय कैडेट कोर/राष्ट्रीय सेवा योजना/ रोवर्स/रेंजर्स में धारित पद, किये गए विशिष्ट आयोजन)

स. **महाविद्यालय के समेकित जीवन की समृद्धि में योगदान** (सह शैक्षणिक गतिविधियों यथा स्पोर्ट्स, डिवेट्स, रंगमंच, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, दीक्षान्त समारोह, छात्र कल्याण, परिसर अनुशासन एवं महाविद्यालय स्तर पर गठित विभिन्न समितियों / प्रदत्त कार्यों (Women Cell, Grievance Redressal Cell, Internal Quality Assurance Cell, Proctorial Board, NAAC/ UGC Committee Scholarship, Extension Lecture etc.) में सक्रिय सहभागिता का विवरण)

4. अधिकारी द्वारा नियुक्ति की तिथि से विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में की गई सेवा का विवरण

महाविद्यालय	धारित पद	कब से	कब तक	अध्यापन अनुभव	
				स्नातक	प्रास्नातक

5. अन्य विशिष्ट योगदान (शिक्षण/शोध/प्रसार के क्षेत्र में)

6. आपके दृष्टिकोण में आख्यागत वर्ष में महाविद्यालय में अपने सर्वोत्तम योगदान का उल्लेख करें।

7. उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिनके कारण आप अपनी सामर्थ में महाविद्यालय में अपेक्षित योगदान नहीं कर सके हैं।

अधिकारी / शिक्षक के हस्ताक्षर

प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति

(अधिकारी के व्यक्तित्व एवं कार्य का मूल्यांकन जिसमें उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता, विषयगत ज्ञान, बौद्धिक स्तर, नियमित कक्षाएं लेकर पाठ्यक्रम को पूरा करना, अध्यापन कृशलता एवं शिक्षण में नवोन्मेष की प्रवृत्ति, शोध कार्य में रुचि, कर्तव्य निर्वहन के प्रति जागरुकता, कम्यूटर दक्षता, श्रमशीलता, प्रदत्त कार्यों में पहल तथा समर्पण का भाव, सहयोगियों से सम्बन्ध, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में तत्परता आदि बिन्दुओं का समावेश हो, एक अनुच्छेद में धारावाहिक रूप में सुसम्बद्ध वाक्यों में प्रविष्टि अंकित की जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे
डॉ/ श्रीमती/ कु0 की सत्यनिष्ठा पर संदेह
व्यक्त किया जा सके। मैं इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता/ करती हूँ।

दिनांक :

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

NON-TEACHING CR FORM

राजकीय महाविद्यालय,

गोपनीय आख्या प्रपत्र

सत्र- 20.....-20.....

1. नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. स्थानीय एवं स्थाई पता
-
.....

4. वर्तमान पद का नाम

5. शैक्षिक योग्यता(प्रतिशत सहित)

परीक्षा का नाम	वर्ष	विषय	प्रतिशत	श्रेणी	परीक्षण संस्था

6. जन्म तिथि

7. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि

पदनाम..... वेतनमान.....

कार्यालय का नाम.....

8. इस कार्यालय में अविरल रूप से कार्य करने की तिथि.....

9. वर्ष 20.....-20..... में सौंपें गए कार्य का पूर्ण विवरण कार्य में परिवर्तन की अवस्था में अवधि सहित विवरण

10. उन अधिकारीयों का पद नाम अवधि सहित विवरण जिनके अधीन आख्यागत वर्ष में कार्य किया हो

पद नाम	अवधि		वेतन क्रम	अधिकारीयों का नाम तथा पद जिनके अधीन कार्य किया है
	कब से	कब तक		
1	2	3	4	5

11. वर्तमान वेतनक्रम

12. यदि स्थाई है तो किस वेतनमान में किस पद पर तथा किस तिथि से

वेतनमान..... पद..... तिथि.....

दिनांक.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर
पदनाम

13. कार्य एवं शील सम्बन्ध रिपोर्ट

नियमों का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कार्य निष्पादन की क्षमता एवं शीर्षता, व्यवहार, कुशलता, आलेख्य बनाने तथा हिंदी में कार्य करने की क्षमता तथा जागरूकता आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नैरेटिव कार्य में लिखा जाए

14. सत्यनिष्ठ एवं विश्वास पात्रता
15. आख्यागत वर्ष में किया गया विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य
16. प्रतिनिष्ठन या (दण्ड संबंधी विवरण)
17. लिखावट (हैण्ड राइटिंग) अच्छी/खराब इत्यादि
18. ग्रेडिंग:-

दिनांक

प्राचार्य

समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति :-

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

CAS PROMOTION FORM-TEACHING FACULTY

Dept of Higher Education, U.P. CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS)

PROMOTIONS FOR ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, PROFESSOR IN COLLEGES.

(As per revised guideline of UGC notified in Gazette of India, Part III, Section-4, No-271 dated 18 July 2018 and U.P. Govt. Order No. 600/Satter-1-2019-16(114)/2010 dated 28-06-2019)

Application for Assistant Professor Stage-II (Academic Level 10 to 11) /

Assistant Professor Stage-III (Academic Level 11 to 12)/

Associate Professor Stage-IV (Academic Level 12 to 13A)

Professor Stage-V (Academic Level 13A to 14)

PART-I : PERSONAL DATA

(To be filled up by the Assistant Professor/Associate Professor/ Professor)

	Application for the promotion of (please <input type="checkbox"/> :	<input type="radio"/> Assistant Professor Stage-II (AL-10 to 11) <input type="radio"/> Assistant Professor Stage-III (AL-11 to 12) <input type="radio"/> Associate Professor Stage-IV (AL-12 to 13A) <input type="radio"/> Professor Stage-V (AL-13A to 14)
01	Name (in BLOCK Letters) :	
02	Father's/Mother's Name/ Husband Name :	
03	Department/Subject :	
04	Mobile number	
05	Email ID	
06	College Name & Address	
07	Website	
08	College NAAC Grade and date of validity	
09	Current Designation and Academic Level and pay	: Pay..... Academic Level.....
10	Date of first Joining as regular (in Govt. College of U.P.) (attach Joining letter)	:
11	Which position and Academic Level (11, 12, 13A,14) are you an applicant under CAS?	:
12	Date of eligibility for promotion	:
13	Order number and date of last promotion (if applicable)	
14	Assessment period	From.....to.....
15	Date of required RC/OC/ short term course as per UGC regulation 2018, Part-II of this form	

16	Date of award of <i>(Date is Considered as displayed on degree or Approved by EC of University, Proof to be attached)</i> <i>Ph.D. is an essential qualification for promotion in Academic Level 13A (Page 81 of UGC regulation 2018)</i>		Professional degree..... M.Phil..... Ph.D.....			
17	Date and Place of Birth	:Place of Birth.....			
18	Sex	:	Male <input checked="" type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/>			
19	Nationality	:				
20	Indicate whether belongs to SC/ST/OBC category	:				
21	Address Postal	:	Distt.....State.....Pin Code.....			
22	Address Permanent	:	Distt.....State.....Pin Code.....			
23	Academic Qualifications:- (High School till Post Graduation) :					
24	Examinations	Name of the Board / University	Year of Passing	Division/ Class/ Grade	Subject/s	Rank and Remark if any
	Matriculation/ High School					
	Intermediate (10 + 2)					
	B.A. / B.Sc. / B.Com. / & equivalent					
	M.A. / M.Sc. / M.Com. / & equivalent					
	Other, if any					
25	Research Degree(s) :					
	Degrees	Title	Date of Award	University		
	M.Phil.					
	Ph.D. / D.Phil.					
	D.Sc. / D.Litt.					
	Others (Please Specify)					
26	Particulars of NET/JRF/SLET/GATE etc					

	Name of the Test	Name of the test conducting body	Month and Year	Roll No.	Subject	Score, where applicable

27 Service Record:

Sr. No	Post/ Designation	Name of Employer	Date of		Pay Scale/ Pay Band & AGP	Reason of leaving	Major achievement
			Joining	Leaving			

28	Period of teaching experience	:	
	a) P.G. Classes (in years)	:	
	b) U.G. Classes (in years)	:	
29	Research Experience excluding years spent in M.Phil. / Ph.D. (in years)	:	
30	Fields of Specialisation under the Subject / Discipline (if any)	:	

Signature of faculty.....

Name.....

Designation.....

PART-II
CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS)
PROMOTIONS FOR ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR IN COLLEGES.)
Assessment Period.....Stage.....

31-Eligibility for CAS Promotion:

Stage-I	Assistant Professor (Academic Level 10) to Assi. Professor (Senior Scale/Academic Level 11)	Proof page no
Eligibility	<p>Assistant Professors who have completed four years of service and having a Ph.D. degree or five years of service and having a M.Phil. / PG Degree in Professional Courses, such as LLM, M.Tech.,M.V.Sc., M.D., or six years of service for those without Ph.D./M.Phil./ PG Degree in Professional courses.</p> <p>Attended one OC of 21 days on teaching methodology</p> <p>Completed one RC / Research Methodology Course</p> <p>OR Any two of the following: Workshop, Syllabus Up-gradation Workshop, Training Teaching-Learning- Evaluation, Technology Programmes and Faculty Development Programmes of at least one week (5 days) duration,</p> <p>OR Completed one MOOCs course (with e-certification) or development of e-contents in four-quadrants / MOOC's course during the assessment period.</p>	
CAS Promotion Criteria	<p>(i) He/she gets ‘satisfactory’ or ‘good’ grade in the annual performance assessment reports of at least 3/4/5 of the last 4/5/6 years of the assessment period as the case may be, as specified in Appendix II, Table 1,</p> <p>(ii) <i>The promotion is recommended by a screening-cum-evaluation committee.</i></p>	Part -III

Stage-II	Assistant Professor (Senior Scale/Academic Level 11) to Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level12)	Proof page no
Eligibility	<p>Assistant Professors who have completed five years of service in Academic Level 11/Senior Scale</p> <p>Any two of the following in the last five years of Academic Level-11/ Senior Scale:</p> <p>Completed courses/programmes from among the categories of Refresher Courses/Research Methodology course/Workshops/Syllabus Up Gradation Workshop/ Teaching-Learning-Evaluation/ Technology Programmes/ Faculty Development Programme/ Syllabus Up-gradation Workshop/ Teaching-Learning- Evaluation/ Technology Programmes/ Faculty Development Programmes of at least two weeks (ten days) duration</p> <p>OR completed two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration;</p> <p>OR completed MOOCs course in the relevant subject (with e-certification); or contribution towards development of e-content in 4-quadrant (at least one quadrant) minimum of 10 modules of a course/contribution towards development of at least 10 modules of MOOCs course/ contribution towards conducting of a MOOCs course during the period of assessment.</p>	
CAS Promotion Criteria	<p>(i) The teacher gets ‘satisfactory’ or ‘good’ grade in the annual performance assessment reports of at least 4 of the last 5 years as prescribed in Appendix II, Table 1</p> <p>(ii) <i>The promotion is recommended by a screening-cum-evaluation committee.</i></p>	Part- III

Stage-III	Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12) to Associate Professor (Academic Level 13A)	Proof page no
Eligibility	<p>completed Three years of service in (Selection Grade/Academic Level 12)</p> <p>A Ph.D. degree in subject relevant /allied/relevant discipline</p> <p>Any one of the following</p> <p>RC/ Methodology Workshop/Syllabus Up-gradation Workshop/ Teaching- Learning-Evaluation Technology Programme/ Faculty Development Programme of at least two weeks (ten days) duration</p> <p>OR</p> <p>two courses of at least one week (five days) duration in lieu of every single course/programme of at least two weeks (ten days) duration;</p> <p>OR</p> <p>completed one MOOCs course (with ecertification); or contribution towards development of e-contents in 4-quadrant(at least one quadrant) minimum of 10 modules of a course/contribution towards development of at least 10 modules of MOOCs course/ contribution towards conduct of a MOOCs course during the period of assessment.</p>	

CAS Promotion Criteria	(i) The teacher gets ‘satisfactory’ or ‘good’ grade in the annual performance assessment reports of at least 2 of the last 3 years as prescribed in Appendix II, Table 1 (ii) The promotion is recommended by a selection committee constituted in accordance with these Regulations	Part-III
------------------------	---	----------

Stage-IV	Associate Professor (Academic Level 13A2) to Professor (Academic Level 14)
Eligibility	(i) completed three years of service in Academic Level 13A (ii) A Ph.D. degree in subject relevant /allied/relevant discipline (iii)A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals out of which three research papers shall be published during the assessment period. (iv)A minimum of 110 Research Score as per Appendix II,Table 2
CAS Promotion Criteria	(i) The teacher gets ‘satisfactory’ or ‘good’ grade in the annual performance assessment reports of at least two of the last three years of the assessment period, as per Appendix II, Table 1 and at least 110 research score as per Appendix II, Table 2. (ii) The promotion is recommended by a selection committee constituted in accordance with these Regulations.

PART-III

CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS)

PROMOTIONS FOR ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR IN COLLEGES.)

Assessment Period.....Stage.....

32-Assessment Criteria and Grading of Activity for College Teachers:

(as specified in Clause 6.1 and Appendix II, Table 1 of UGC Regulation 2018)

(Please see detailed instructions in UGC- Gazette of India, Part III, Section-4, No-271 dated 18-7-2018)

Seri al num ber	Nature of activity	Grading Criteria	Assessment period							Ann exur e No	Pa ge No
			Proof required	Acad emic Year	Acad emic Year	Acad emic Year	Acade mic Year	Acade mic Year	Acad emic year		
1	Teaching (Write teaching percentage) (as the case may be) in academic year column of concerned category, applicable for you. Assessment must based on evidence produced by the teacher.)	Teaching: (Number of classes taught/total classes assigned) x100% (Classes taught includes sessions on tutorials, lab and other teaching related activities)	<ul style="list-style-type: none"> 80% & above - Good Below 80% but 70% & above- Satisfactory Less than 70% - Not satisfactory 	Certified copy of Proof of related activity							
	Overall grading in activity at serial no 1 given by IQAC										
2	Involvement in the University/College students related activities/ research activities (Write name of activities (as the case may be) in academic year column of concerned category, applicable for you. Assessment must based on evidence produced by the teacher.)										
A	Administrative responsibilities such as Head, Chairperson/ Dean/ Director/ Co-ordinator, Warden etc.			Certified copy of Administrative responsibilities assigned and work done							
B	Examination and evaluation duties assigned by the college / university or attending the examination paper evaluation.	Good - Involved in at least 3 activities Satisfactory - 1-2 activities		Certified copy of duties assigned and work done in each year							
C	Student related co-curricular, extension and field based activities such as student clubs, career counselling, study visits, student seminars and other events, cultural, sports, NCC, NSS and community services.	Not-satisfactory - Not involved / undertaken any of the activities Note: Number of activities can be within or across the broad categories of activities		Certified copy of duty assigned and work done in each year							
D	Organising seminars/ conferences/ workshops, other college/university activities.			Proof of orgaisisng activity in each year							
E	Evidence of actively involved in guiding Ph.D students			Proof of guidance							
F	Conducting minor or major research project sponsored			Proof of project & sponsorship							

	by national or international agencies.							
G	At least one single or joint publication in peer-reviewed or UGC list of Journals.		Proof of as per UGC reg-2018					
	Overall grading in activity at serial no 2 given by IQAC							
Overall Grading in the annual performance assessment reports of the year approved by IQAC								
Signature of IQAC Members								
Overall Grading in the annual performance assessment reports of the year Approved by Screening/selection committee								
Signature of the Screening/selection committee								

Overall grading Calculation-

- **Good:** Good in teaching and satisfactory or good in activity at Sl.No.2.
- **Satisfactory:** Satisfactory in teaching and good or satisfactory in activity at Sl.No.2.
- **Not Satisfactory:** If neither good nor satisfactory in overall grading
- **Overall grading required for Promotion:** Good/Satisfactory required during assessment period as prescribed in Part-II

Note:

- For the purpose of assessing the grading of Activity at Serial No. 1 and Serial No. 2, all such periods of duration which have been spent by the teacher on different kinds of paid leaves such as Maternity Leave, Child Care Leave, Study Leave, Medical Leave, Extraordinary Leave and Deputation *shall be excluded from the grading assessment*. The teacher *shall be assessed for the remaining period of duration and the same shall be extrapolated for the entire period of assessment* to arrive at the grading of the teacher.
- The teacher on such leaves or deputation as mentioned above shall not be put to any disadvantage for promotion under CAS due to his/her absence from his/her teaching responsibilities subject to the condition that such leave/deputation was undertaken with the prior approval of the competent authority following all procedures laid down in these regulations and as per the acts, statutes and ordinances of the parent institution.

3	3	ACADEMIC/ RESEARCH ACTIVITY
		(Applicable only for promotion of Associate Professor (Academic Level 13A) to Professor (Academic Level 14))
		<p>NOTE :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● This is to be filled as per Appendix II, Table 2 of UGC Regulations 2018 ● Wherever the research contribution is jointly made, the API scores should be shared between the contributors as per the formula provided in the NOTES of Appendix II, Table 2 of UGC Regulations 2018. ● The self-assessment score will be based on verifiable criteria and will be finalized by the screening cum evaluation committee/selection committee. ● If applicant claim for impact factor and refereed category of journal , It is the duty of applicant to provide a valid proof or Certificate issued by Thomson Reuters, If applicant not attached proof, minimum marks of the category award to applicant) ● The combined research score from the categories of 5(b) Policy Document and 6 Invited lecture/Resource Person /Paper presentation shall have an upper capping of thirty percent of the total research score of the teacher concerned. ● The research score shall be from the minimum of three categories out of six categories.

I : Research papers (Journals, etc)

S N .	Title with page no.	Journal Name	U G C S r .N o / C A R E l i s t N o .	Y e a r .	IS S N N o. .	Impact factor as per Thoms on Reuters	Total no of Authors	Whether you are the First/ Principal / corresponding author /supervising or / mentor author	API I Score Climed	API Score approved by IQAC	A n n e x u r e N u m b e r	P a g e N o	API Score approved by Screening Committee
	Total API-III A												

II(a) Publications other than journal articles (books, chapters in books)

S N .	Title of Book or chapter with page no	P u b l i s h e r d e t a i 1	Publish ed by Internati onal/ Nationa l/local Publishers	Y e ar	IS SN / IS B N No	T ot al N o of au th or s	Whe ther you are the mai n auth or	API Sco re Clai med	API Scor e appr oved by IQA C	A n n e x u r e N u m b e r	P a g e N o	API Score approve d by Screenin g Committ ee	
	Total API-IIIB												

II(b) Translation works in Indian and Foreign Languages

S . N .	Title of Book or chapter with page no	P u b l i s h e r d e t a i l	Publish ed by International/ National/ local Publishers	Y e ar	IS SN / IS BN No	T ot al N o of au th or s	Whe ther you are the mai n auth or	API Sco re Clai med	API Scor e appr oved by IQA C	A nn ex ur e N u m be r	P a g e N o	API Score approved by Screenin g Committ ee
	Total API-IIIB											

III:Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula

III (a)Development of Innovative pedagogy

S.N .	Name of Innovative pedagogy	Hyperlink of Innovative pedagogy	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexu re Number	Page No	API Score approv ed by Screen ing Comm ittee
	Total API						

III (b)Design of new curricula and courses

S.N .	Name of new curricula and courses	Hyperlink of the curricula and courses	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexu re Number	Page No	API Score approv ed by Screen ing Comm ittee
	Total API						

III (c)Development of MOOCs

S.N .	Title of MOOC	Developed MOOC in 4 quadrants (4 credit course/lesser credit/per module/content writer/subject matter expert/course coordinator	Hyperli nk of the MOOC S	API Score Claim ed	API Score approv ed by IQAC	A nn ex ur e N u m be r	P a g e N o	API Score approv ed by Screen ing Comm ittee

	Total API								

III (d) Development of E-Content

S.N.	Title of E-Content/EBook	Developed E-Content in 4 quadrants/ per module/ Contributor/Editor for complete course, paper or e-book	Hyperlink of EContent/ E-Book	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
	Total API							

IV(a). Research Guidance

S.N.	Number Enrolled (Attach the detail)	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
Ph.D. (Degree Awarded)						
Ph.D. (Thesis Submitted)						
M.Phil./ P.G dissertation (Degree Awarded)						
Total API						

IV (b) Research Projects completed

S.N.	Title	Funding Agency	Period	Grant/ Amount Mobilized (Rs Lakhs)	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
	Total								

IV (c) Research Projects Ongoing

S.N.	Title	Funding Agency	Period	Grant/ Amount Mobilized (Rs Lakhs)	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
	Total								

IV (d). Consultancy Project

S.N	Title	Agency	Period	Amount Mobilized (Rs Lakhs)	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
	Total API								

V (a). Patents

S.N.	Title of Patent	Detail of Patent (International or National)	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
	Total API						

V (b). Policy Document(Submitted to an International body/organisation like UNO/UNESCO/World Bank/IMF etc. Or Central Government or State Government)

S.N.	Title of Policy Document	Name of International body/Central Government body /State Government body	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
	Total API						

V(c) Fellowships/ Awards

S.N.	Name of Fellowships/ Awards	Awarding Agency	Whether international / National	Honorarium of Award, if any	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening Committee
	Total API								

VI Invited lectures /Resource Person/ paper presentation in seminars/Conferences/Proceedings

(*Paper presented in Seminars/Conferences and also published as full paper in Conference Proceedings will be counted only once*)

S. N.	Title of the Invited lectures / papers	Title of Conference / Seminar /workshop etc	Organized by	Sponsored By	Whether International (abroad)/ International (within country)/ National/	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	Annexure Number	Page No	API Score approved by Screening

					State or University level			<i>e N u m b e r</i>		Committee
	Total API									

The parameters listed in Appendix II, Table 2 of UGC Regulations 2018(Research and Academic Activity) shall have following API score claimed by the candidates:-

Sub-Category	API Score Claimed	API Score approved by IQAC	API Score approved by Screening Committee
I. Research papers (Journals, etc)			
II (a) Publications other than journal articles (books, chapters in books)			
II (b) Translation works in Indian and Foreign Languages			
III (a) Development of Innovative pedogogy			
III (b) Design of new curricula and courses			
III (c) Development of MOOCs			
III (d) Development of E-Content			
IV(a) Research Guidance			
IV (b) Research Projects completed			
IV (c) Research Projects Ongoing			
IV (d) Consultancy Project			
V (a) Patents			
V (b) Policy Document			
V(c) Fellowships/ Awards			
VI. Invited lectures /Resource Person/ paper presentation in seminars/Conferences/Proceedings <i>(combined research score from V(b) and VI Shall have an upper capping of 30% of the total score)</i>			
TOTAL			

3	4	OTHER RELEVANT INFORMATION
		Please give details of any other credential, significant contributions, awards received etc. not mentioned earlier.

3	5	LIST OF ENCLOSURES:
		(Please attach the self-attested, copies of certificates, sanction orders, papers etc. wherever necessary)

Sr. N.	Enclosure detail	Annexure No	Page No

3 6	<p><i>Declaration by the applicant:</i></p> <p>I certify that the information provided is correct as per records available with the University/College and/or and documents enclosed along with this duly filled CAS preforma.</p>	<p>Signature of faculty:.....</p> <p>Name:.....</p> <p>Designation:.....</p>	
3 7	<p><i>Report of Principal and Convenor/Director of IQAC</i></p> <p>All the document submitted by Assistant Professor/Associate Professor/Professor are verified and found authentic. The Overall grading is Good or Satisfactory each year during assessment period, as mentioned the above are correct.</p>		
	<p>.....</p> <p>Name & Signature of the Principal</p> <p>Name of the college.....</p> <p>Place:.....</p> <p>Date:.....</p>	<p>.....</p> <p>Name & Signature of the Convenor/Director of IQAC:</p> <p>Name of the college.....</p> <p>Place:.....</p> <p>Date:.....</p>	
	<p><i>N.B.: The individual proforma for CAS promotion duly filled along with all enclosures, will be duly verified by the IQAC and shall be placed before the Screening cum Evaluation Committee or Selection Committee for Promotion.</i></p>		
38	<p>In case of the Principal/Convenor IQAC is not satisfied with the reporting by the teacher in the self-appraisal and thus not willing to certify (as mentioned above), then Principal/Director, H.E./Convenor IQAC must record below the reasons in writing for not certifying the reported self-appraisal information as mentioned in PART- II and PART-III (serial no. 31 to serial number 32).</p>		
	<p>.....</p> <p>Signature of the Principal</p> <p>Name of the college.....</p> <p>Place:.....</p> <p>Date:.....</p>	<p>.....</p> <p>Signature of the Convenor/Director of IQAC:</p> <p>Name of the college.....</p> <p>Place:.....</p> <p>Date:.....</p>	

Recommendation of Screening-cum-Evaluation/Selection Committee

PROFESSOR PROMOTION RESULT- TEACHING FACULTY

कार्यालय, शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उ०प्र०, प्रयागराज

कार्यालय-ज्ञाप

आज्ञा संख्या:डिग्री सेवा/

42

/2022-23 दिनांक: 08 /07/2022

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एसो० प्रो० को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत एकेडमिक लेवल 13ए से 14 में यू०जी०सी० के विनियमों के अनुसार प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में संबंधित महाविद्यालयों में गठित आई०व्य०ए०सी० एवं संबंधित प्राचार्यों की सस्तुति के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 271 दिनांक 18 जुलाई, 2018 में उल्लिखित व्यवस्थाओं एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 600/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 28 जून 2019, शासनादेश संख्या 1190/सत्तर-1-2019-16 (114)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 तथा शासनादेश संख्या 1607/सत्तर-1-2021-16(43)/2021 दिनांक 01 नवम्बर, 2021 के अनुरूप संबंधित महाविद्यालयों/संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में गठित छानबीन-सह-मूल्यांकन समिति/चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्राप्त 29 एवं 19 अर्थात् कुल-48 एसोसिएट प्रोफेसरों को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत एकेडमिक लेवल 13ए से 14 में यू०जी०सी० के विनियमों के अनुसार प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नति प्रदान किये जाने का संकलित प्रस्ताव इस कार्यालय के क्रमशः पत्रांक: डिग्री सेवा/1564/2022-23 दिनांक 11.05.2022 एवं डिग्री सेवा/3382/2022-23 दिनांक 27.05.2022 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-5 के पत्रांक सं०-719/सत्तर-5-2022-11/2021 दिनांक 28 जून 2022 द्वारा संलग्न-तालिका में वर्णित एसोसिएट प्रोफेसरों को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत एकेडमिक लेवल 13ए से 14 में यू०जी०सी० के विनियमों के अनुसार प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 28 जून 2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में विभिन्न छानबीन-सह-मूल्यांकन समिति/चयन समिति से प्राप्त संस्तुति के आधार पर संगत शासनादेशों के आलोक में अभिलेखों का सत्यापन निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा एवं वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा द्वारा कर लिया गया है किन्तु किसी भी विसंगति का अंतिम उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक/आई०व्य०ए०सी० प्रभारी/प्राचार्य/छानबीन-सह-मूल्यांकन समिति/चयन समिति का होगा।

उक्त कार्यालय-ज्ञाप शासन के पत्र दिनांक-28.06.2022 के क्रम में जारी किया जा रहा है।
संलग्नक-उक्तवत

डा० (अमित भारद्वाज)

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)

उ०प्र०, प्रयागराज।

पृ०स०:-डिग्री सेवा/ 7833-37 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित कार्मिक
5. गार्ड फाइल

डा० (अमित भारद्वाज)

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)

उ०प्र०, प्रयागराज।

०८

राजकीय महाविद्यालय में कार्यस्त एसोसिएट प्रोफेसर को कैरियर एडवानसमेंट योजनान्तर्गत एकेडमिक लेवल 13ए से 14 में यूजी0सी0 के विनियमों के अनुसार प्रोफेसर पदनाम प्रदान की संस्तुत सूची								
क्रम संख्या	नाम	महाविद्यालय का नाम	विषय	नियुक्ति तिथि	पी-एचडी0 की तिथि	13ए / 9000 प्राप्त होने की तिथि	अकादमिक लेवल 13ए / 9000 प्राप्त होने की तिथि	आवेदित एजी0सी0 / अकादमिक सर/पदनाम वांछित एजी0पी0 की अनुनाम तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ संजय बरनवाल	वी0 आर0 ए0 एल0 राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली	राजनीति विज्ञान	01.01.2001 (पूर्व सेवा 04.12.1998)	24.02.2003	04.12.2010	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
2	डॉ राकेश कुमार शुक्ल	राजकीय महाविद्यालय, सांगीपुर, प्रतापगढ़	राजनीति विज्ञान	21.04.1998	12.03.1994	21.04.2010	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
3	डॉ ब्रजेन्द्र कुमार सिंह हमीरपुर	राजकीय महाविद्यालय सुमरपुर, मधुरा	राजनीति विज्ञान	23.02.2001 (पूर्व सेवा 21.02.2000)	20.02.2010	21.02.2013	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
4	डॉ चन्द्रपाल	राजकीय महाविद्यालय, माट मधुरा	समाजशास्त्र	06.03.2006	24.08.2004	06.03.2018	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
5	डॉ जयकीरण मधुरा	राजकीय महाविद्यालय, माट मधुरा	समाजशास्त्र	17.05.2006	31.12.2000	17.05.2018	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
6	डॉ पूनम सक्सेना बरेली	राजकीय महाविद्यालय, फरीदपुर,	समाजशास्त्र	09.09.2000	30.06.1994	09.09.2012	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
7	डॉ निधि रायजादा	कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर	इतिहास	25.04.1998	04.10.1993	25.04.2010	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
8	डॉ अनीता सिंह	कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर	इतिहास	13.05.1997	10.06.1999	13.05.2009	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
9	डॉ आशा रानी	कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर	इतिहास	30.04.1998	23.03.1996	30.04.2010	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
10	डॉ राम कुमार यादव	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांगीपुर, प्रतापगढ़	इतिहास	01.08.2001	15.09.2018	01.08.2015	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
11	डॉ सीमा तेवतिया	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	भौतिक विज्ञान	10.03.2006	30.06.2000	10.03.2018	10000 / अकादमिक सर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021

12	डा० सिकन्दर लाल	कौशलया भारत सिंह गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, दिल्ली पट्टी, प्रतापगढ़	संस्कृत	28.07.2005	17.05.2010	28.07.2017	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
13	डा० चुरेच सिंह यादव	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सामुद्र	रसायन शास्त्र	05.01.1996	24.04.1994	05.01.2008	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
14	डा० चुरेच सिंह	राजकीय महाविद्यालय, मांड ^{मुरा}	रसायन शास्त्र	02.05.1998	03.09.1997	02.05.2010	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
15	डा० शुभलक्ष्मी त्रिपाठी	राजकीय महिला महाविद्यालय डीएलडब्ल्यू वाराणसी	ओंग्रेजी	11.01.2001	05.11.2018	11.01.2015	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
16	डा० संख्या सरक्षेना	वी० आर० ए० एल० राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली	ओंग्रेजी	23.12.2000	26.08.2003	23.12.2012	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
17	डा० रिदानी चर्मा	कृ० मायावरी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर	गृह विज्ञान	15.07.2005	2006	15.07.2017	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
18	डा० मनोषा चाव	वी० आर० ए० एल० राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली	गृह विज्ञान	09.09.2000	26.03.2012	09.09.2014	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021
19	डा० सेन्यद मोहम्मद अरशद रिज्वी	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सामुद्र	उर्दू	09.08.2000	22.12.2004	08.09.2012	10000 / अकादमिक स्तर 14 / प्रोफेसर	01.11.2021

०५७.२२

डा० (केंद्रीय वर्षी)

संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

अ

(राजकीय
महाविद्यालय
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज)

डा० (अमित भारद्वाज)
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

PROMOTION NON-TEACHING

कार्यालय, प्राचार्य राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ०प्र०)
 आङ्ग सं० - ८२ / २०२२-२३ / दिनांक: १३-१२-२०२२

(कार्यभार प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र सं०- डिग्री सेवा / १३४२३ / २०२२-२३ दिनांक ११.११.२०२२ के द्वारा, श्रीमती कौसर जहां, कनिष्ठ सहायक राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक पद पर राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर में रिक्त पद के प्रति की गई है।

उक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमती कौसर जहां, कनिष्ठ सहायक को कार्यमुक्त करते हुए वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप आज दिनांक १३.१२.२०२२ के अपराह्न में कार्यभार ग्रहण कराया गया है।

भवदीय,

डॉ० दीपा अग्रवाल

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,



पृष्ठांकन सं०- १६४-७० / २०२२-२३ दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- 3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।
- 5- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 6- विभाग प्रभारी, रसायन विज्ञान।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।

०/८

१३/१२/२२

प्राचार्य
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर।



PROMOTION NON-TEACHING

कार्यालय, प्राचार्य राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ०प्र०)
 आज्ञा सं० ७५ / 2022-23 / दिनांक: 12.11.2022

(कार्यभार आदेश)

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र सं० डिग्री सेवा / 13346 / 2022-23 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा, श्री विनीत कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर की पदोन्नति चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में कनिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर में रिक्त पद के प्रति की गई है।
 उक्त आदेश के अनुपालन में श्री विनीत कुमार को चतुर्थ श्रेणी से कार्यमुक्त करते हुए/कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप आज दिनांक 12.11.2022 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कराया जाता है।

भवदीय,

डॉ० दीपा अग्रवाल
 प्राचार्य

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
 रामपुर सं० ८० महाराज

पृष्ठांकन सं० १५५५-५९ / 2022-23 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- 3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।
- 5- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली।

Received
 १२.११.२२०१८
 १२.११.२२०१८

प्राचार्य
 राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 सं० ८० रजा रामपुर
 रामपुर

PROMOTION RESULT NON-TEACHING

ई-मेल / पंजीकृत

आरक

शिक्षा निदेशक (उ०शि०), ३०प्र०
शिक्षा हिंदी सेवा अनुभाग,
प्रयागराज।

राजा मे

प्राचार्य,

राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर।

पत्रांक-डिग्री सेवा / 13346

/2022-23

दिनांक 11/11/2022

विषय: प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय/राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के फलस्वरूप के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के आज्ञा संख्या-डिग्री राजा/३४/२०२२-२३ दिनांक 27.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय/राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ सहायक) के घद पर पदोन्नति के फलस्वरूप पदन्वयन के सम्बन्ध में है। उक्त सूची के कम संख्या-०८ पर अकिल श्री दिनील कुमार की तैनाती निम्न विवरण के अनुसार दी जाती है -

क०३०	कर्मचारी का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत महाविद्यालय का नाम	पदोन्नति के पश्चात आवंटित महाविद्यालय का नाम	अम्मुक्ति
				4
1	2	3	4	5
1-	श्री दिनील कुमार	राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर	राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर	रिक्त पद के प्रति

प्राचार्य अपने स्तर से नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये तथा कृत कार्यवाही से अपोहस्ताक्षरी दी अधिगत कराय।

क्षेत्रीय
उच्च शिक्षा अनुभाग-५
डा०(क०सी०वमी)
संयुक्त निदेशक (उ०शि०)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
३०प्र०, प्रयागराज।

/उसी तिथि को।

पृष्ठानं संख्या-डिग्री सेवा /

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवक्षेपक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- १- नंगुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-५, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- महालेखकाल, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- ३- सम्बन्धित विभिन्न/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- ४- सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा इस निर्देश के साथ दिये गए वर्तनान तैनाती के स्थान से प्राचार्य के नाड्यम से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती के स्थान पर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित कर तथा कार्यमार ग्रहण की घटना प्राचार्य के माध्यम से अपोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराय।
- ५- सम्बन्धित प्राचार्य।
- ६- सम्बन्धित होमीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

डा०(क०सी०वमी)
संयुक्त निदेशक (उ०शि०)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
३०प्र०, प्रयागराज।

MEDICAL LEAVE ORDER TEACHING FACULTY

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.)

आवेदन सं.

/ २०२३-२४ / ५१०१५१

दिनांक १३.१०.२०२३

अवकाश स्वीकृत आवेदन

दा०/धी

.....पद ग्रन्हित अस्तित्व

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर। का निम्नलिखित प्रकार का अवकाश अर्थसंहिता भाग दी से
चार के मूल नियम 81 वी 157 ए के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश का प्रकार	अवधि	कुल दिवस	प्रतिबन्ध
कब से	कब तक		
(अ) उपायित अवकाश	१०	५	
(ब) चिकित्सा अवकाश	११-१०.२.२३ तो १२.१०.२३ (०२ दिन)	५	
(स) निजी कार्यालय अवकाश	६	६	
(द) असाधारण अवकाश	६	६	

विशेष :— अवकाश के पूर्व पढ़ने वाले एवं अवकाश के उपरान्त पढ़ने वाले को उपभोग करने की अनुमति भी एतद्वारा प्रदान की जाती है।

प्राचार्य
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर (उ.प्र.)

पृ० सं. / पी० एफ० / 200

उक्तिशील

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-शिक्षा निदेशक (उ०शि०) उ० प्र० इलाहाबाद।

2-कोषाधिकारी रामपुर।

3-लेखाकार महाविद्यालय

4-सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी।

5-पत्रावली।

प्राचार्य

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर (उ.प्र.)

MEDICAL LEAVE ORDER TEACHING ग रामपुर ।

कार्यालय, प्राचार्य राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ०प्र०)

आदेश सं०-

/पी०एफ०/ 2023-24

दिनांक: 22/9/23

अवकाश स्वीकृत आदेश

डॉ० गजेन्द्र सिंह असि० प्रो० जन्मु विज्ञान, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर का निम्न प्रकार का अवकाश अर्थसंहिता भाग दो से चार के मूल नियम 81 वी/157ए के अनुपालन में स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश का प्रकार	अवधि	कुल दिवस	प्रतिबन्ध
कब	से	कब तक	

(अ) चिकित्सा अवकाश दिनांक 12.09.2023 से 17.09.2023 06 दिवस पूर्ण वेतन पर

विशेष:- अवकाश के पूर्व पड़ने वाले एवं
 अवकाश के उपरान्त पड़ने वाले को
 उपभोग करने की अनुमति भी एतद्वारा प्रदान की जाती है।

पृष्ठांकन संख्या:- ५६२-६३ /पी०एफ०/ 2023-24 उक्तादिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1. शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उ०प्र०, शिक्षा डिग्री सेवा अनुभाग, प्रयागराज।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।
3. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेती।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. गार्ड फाइल।

प्राचार्य
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर (उ०प्र०) २

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL - TEACHING



कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

ई-मेल—cmorampur@gmail.com, दूरभाष—0595 2324769 |



पत्रांक:—(9)सी0एम0ओ0 / दावा प्रतिपूर्ति / 2018-19 / 552

दिनांक— 02/03/2019

प्राचार्य,
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर।

कृपया आपके पत्र सं0-1483-84/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2018-19 दिनांक—21.02.2019 के साथ संलग्न श्री डॉ विजय कुमार राय, असि० प्रोफेसर, इतिहास के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय रु—28885/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं फार्म A प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूल रूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक—दावा मूल रूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
A	28885	4900	23985

Mullan
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
Chief Medical Officer
रामपुर।
Rampur

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक – सी०एम०ओ० / दावा प्रतिपूर्ति / 2022–23 / (679)

दिनांक – 25/8/2022

प्राचार्य
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर।

कृपया आपके पत्र सं० 1002–03 / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / 2022–23 दिनांक 01.08.2022 के साथ संलग्न डा० बेबी तबस्सुम, असिस्टेंट प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग द्वारा अपने स्वयं के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय रु० 323052/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं फार्म B प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म B पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक – दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
B	323052	215115	107937

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रामपुर (U.P.)

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक - रो००५०३०००० / दावा प्रतिपूर्ति / २०२२-२३

(1297)

दिनांक - ६/१/०२३

प्राचार्य

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर।

कृपया आपके पत्र सं० ११०५-०६ / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / २०२२-२३ दिनांक १७.०८.२०२२ के साथ संलग्न डा० प्रवेश कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर-बी०एड० ने अपनी माता जी श्रीमती प्रकाशो देवी के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय रु० ९८,२६७/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं फार्म A,B प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A,B पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्यात्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक - दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
A	27303	1785	25518
B	70964	9868	61096
योग	98267	11653	86614

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक:- सी०एम०ओ० / दावा प्रतिपूर्ति / 2023-24 / 133

दिनांक- 8/5/2023

प्रो०(डा०) दीपा अग्रवाल

प्राचार्या॑,

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर (उ०प्र०)।

कृपया आपके पत्र सं० 18-19/चिकित्सा प्रतिपूर्ति / 2023-24 दिनांक. 08.04.2023 के साथ संलग्न श्री सोमेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा अपनी माताजी श्रीमती भगवती के चिकित्सा उपचार पर व्यय ₹० 25,000/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं **B** प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म **B** पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक- दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
B	25000	3200	21800

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक:- सी०ए०ओ० / दावा प्रतिपूर्ति / २०२३-२४ / १२६

दिनांक—०१/६/०१३

प्राचार्य,
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर (उ०प्र०)।

कृपया आपके पत्र सं० ४०-४१/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/२०२३-२४ दिनांक. १९.०४.२०२३ के साथ संलग्न श्री अब्दुल लतीफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा अपनी माताजी श्रीमती खातून के चिकित्सा उपचार पर व्यय रु० १६,९२८/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं **B** प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म **B** पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक— दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
B	16928	1312	15616

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- NON-TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक:-सी०एम०ओ० / दावा प्रतिपूर्ति / 2023-24 / १६७

दिनांक:- 03-08-2023

ग्राम्य
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर।

कृपया आपके पत्र संख्या- 283-84/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2023-24 दिनांक-18-07-2023 के साथ संलग्न श्री विनीत कुमार सक्सेना, कनिष्ठ सहायक के द्वारा पत्नी श्रीमती रुचि सक्सेना के चिकित्सा उपचार पर व्यय रु० 22053/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं फार्म A एवं फार्म B प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A एवं फार्म B पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक- दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
A	6553/-	0/-	6553/-
B	15500/-	7650/-	7850/-
कुल योग	22053/-	7650/-	14403/-

Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Rampur (U.P.)
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- NON- TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक:-सी०एम०ओ०/दावा प्रतिपूर्ति/2023-24/527

दिनांक:-9-10-23

प्राचार्य
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर (उ०प्र०)

कृपया आपके पत्र संख्या— 469-70/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2023-24 दिनांक—
25-09-2023 के साथ संलग्न श्री अम्मान शाकिर, लैब परिचर के द्वारा पिता जी श्री सैय्यद
शाकि अहमद के चिकित्सा उपचार पर व्यय ₹ 60958/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी
परीक्षण एवं फार्म A एवं फार्म B प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण
उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A एवं फार्म B
पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने
स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्यात्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक— दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
A	60958/-	915/-	60043/-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Rampur (U.P.)
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- NON-TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक:-सी०एम०ओ०/दावा प्रतिपूर्ति/2023-24/526

दिनांक:- 9-10-23

प्राचार्य

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर (उ०प्र०)

कृपया आपके पत्र संख्या— 449-50/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2023-24 दिनांक—
21-09-2023 के साथ संलग्न श्री शाहिद खाँ, रात्रि चौकीदार के द्वारा पत्नी श्रीमती शमा
परवीन के चिकित्सा उपचार पर व्यय ₹० 7278/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं
फार्म A एवं फार्म B प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल
धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A एवं फार्म B पर प्रतिहस्ताक्षर
कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने
का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक— दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
A	7278/-	500/-	6778/-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Rampur (U.P.)
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक:- सी०एम०ओ० / दावा प्रतिपूर्ति / 2023-24 / ५६

दिनांक:- २०-१०-२३

प्राचार्य

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामपुर (उ०प्र०)।

कृपया आपके पत्र संख्या- 356-57 / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / 2023-24 दिनांक- 08-09-2023 के साथ संलग्न डॉ० मोहम्मद नासिर, असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान के द्वारा माता श्रीमती सरताज वेगम के चिकित्सा उपचार पर व्यय रु० 236829/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं फार्म A एवं फार्म B प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A एवं फार्म B पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक- दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
B	236829/-	64670/-	172159/-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Chief Medical Officer
Rampur (U.P.)
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- TEACHING

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक:- सी०एम०ओ० / दावा प्रतिपूर्ति / 2023-24 / 134

दिनांक- 8/5/2023

प्रो०(डा०) दीपा अग्रवाल

प्राचार्या,

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर (उ०प्र०)।

कृपया आपके पत्र सं० 34-35 / चिकित्सा प्रतिपूर्ति / 2023-24 दिनांक 17.04.2023 के साथ संलग्न श्री सोमेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा अपने स्वयं के चिकित्सा उपचार पर व्यय रु० 7,475/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं A प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूलरूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक- दावा मूलरूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
A	7475	0	7475

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रामपुर।

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL- TEACHING



कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

ई-मेल—cmorampur@gmail.com, दूरगाष—0695 2324769 |



पत्रांक:—(9)सी0एम0ओ0 / दावा प्रतिपूर्ति / 2018—19 / 633

दिनांक—28/03/2019

प्राचार्य,
राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर।

कृपया आपके पत्र सं0—1642—43/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2018—19 दिनांक—08.03.2019 के साथ संलग्न श्री रामकिशोर सागर, प्रवक्ता—अर्थशास्त्र खंड के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय रु—13798/- का प्रतिपूर्ति दावा तकनीकी परीक्षण एवं फार्म A प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। दावे के तकनीकी परीक्षण उपरान्त मूल धनराशि में से अदेय धनराशि घटाकर (निम्नलिखित) एवं फार्म A पर प्रतिहस्ताक्षर कर मूल रूप में आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसका भुगतान आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें। शासनादेशानुसार कार्योत्तर की अनुमति दी जाती है।

संलग्नक—दावा मूल रूप में।

फार्म	कुल धनराशि	अदेय धनराशि	देय धनराशि
A	13798	0	13798

[Signature]
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
Chief Medical Officer
रामपुर।
Rampur

प्रेषक,

REIMBURSEMENT MEDICAL BILL

अनुस्मारक

प्राचार्या,
राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रामपुर (उ०प्र०)।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा,
डिग्री बजट अनुभाग,
प्रयागराज (उ०प्र०)।

पत्रांक:- 28 /बजट/ 2023-24

दिनांक:- 12-04-2023

विषय:- 49-चिकित्सा मद में बजट हेतु माँग पत्र प्रेषण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में इस महाविद्यालय में सेवारत निम्नलिखित प्राध्यापकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे बजट हेतु पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं परन्तु अभी तक बजट न प्राप्त होने के कारण प्रकरण लम्बित है। अतः 49-चिकित्सा व्यय मद में ₹ 2,56,705 (रुपये दो लाख छप्पन हजार सात सौ पाँच मात्र) का बजट आवंटित करने का कष्ट करें।

क्रम संख्या	कर्मचारीशिक्षक का नाम/ प्रवक्ता	लम्बित वर्ष	बीमारी की प्रवृत्ति	वांछित धनराशि
1.	डॉ अजय विक्रम सिंह, प्रवक्ता भूगोल-	2018-19	पुत्री का Gall Bladder Stone Operation	24,371
2.	डॉ राम किशोर सागर, प्रवक्ता अर्थशास्त्र-	2019-20	स्वयं का Cataract Eye Surgery	13,798
3.	डॉ विजय कुमार राय, प्रवक्ता इतिहास-	2019-20	स्वयं का Cataract Eye Surgery	23,985
4.	डॉ बेबी तबस्सुम प्रवक्ता- जन्तु विज्ञान	2022-23	स्वयं की Cancer	1,07,937
5.	डॉ प्रवेश कुमार प्रवक्ता- बी०एड०	2022-23	माता की Bone Operation	86,614
कुल योग				₹ 2,56,705

संलग्नक:-

- मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश की छायाप्रति।

भवदीय,

डॉ दीपा अग्रवाल

प्राचार्य

राजकीय राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

Principal
Govt. Raza P. College
Rampur (U.P.)

O/C

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	कार्मिक का नाम/पदनाम	49-विकित्सा र में आवंटित धनराशि
1	2	3	4
12	राजकीय महिला महाविद्यालय, पीलीभीत	डॉ० बरखा, असि०प्रोफे०-जन्तु विज्ञान	90534
		श्री फजलुर्रहमान, एसो०प्रोफे०	100000
		स्व० डॉ० नरेश पाल, पूर्व प्राचार्य	100000
		श्री राजेन्द्र कुमार, प्रयोगशाला परिचर	11250
		श्री राजेन्द्र कुमार, प्रयोगशाला परिचर	18996
		श्री राजेन्द्र कुमार, प्रयोगशाला परिचर	96967
		श्री अजीत कुमार, प्रयोगशाला सहायक	11065
13	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत	डॉ० पूर्णिमा भारद्वाज	47965
		डॉ० रजत गंगवार	50109
		श्री विनोद कमार सिंह	100000
14	राजकीय महाविद्यालय, बिलासपुर, रामपुर	डॉ० बाल मुकुन्द वर्मा	29650
		डॉ० हर्षवर्धन मिश्र	112391
		श्री भूपेन्द्र	275472
15	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर	डॉ० देवेन्द्र सिंह, प्रवक्ता-अंग्रेजी	480495
16	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर	डॉ० अजय विक्रम सिंह, प्रवक्ता-भूगोल	24371
		डॉ० राम किशोर सागर, प्रवक्ता-इतिहास	13798
		डॉ० विजय कुमार राय, प्रवक्ता-इतिहास	23985
		डॉ० बेबी तबस्सुम, प्रवक्ता-जन्तु विज्ञान	107937
		डॉ० प्रवेश कुमार, प्रवक्ता-बी०एड०	86614
		श्री सोमेन्द्र सिंह, प्रवक्ता-बी०एड०	21800
		श्री सोमेन्द्र सिंह, प्रवक्ता-बी०एड०	7475
		श्री साहित खाँ	6778
		श्री अम्मान शाकिर	60043
		डॉ० मोहम्मद नासिर, असि०प्रोफे०	100000
		विनीत कुमार सक्सेना	14403
		श्री पृथ्वी सिंह	146417
		डॉ० अब्दुल लतीफ, प्रवक्ता-हिन्दी	15616

GPF PAYMENT ORDER NON-TEACHING

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ० प्र०)।

आदेश संख्या:- 35

/जी०पी०एफ०/२०२३-२४

दिनांक:- ३-१०-२०२३

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या- सा-४/जी-५७/दस-८४-५१०-५४, दिनांक २६-१२-१९८४ के अन्तर्गत इस महाविद्यालय से अधिवर्षता प्राप्त करके दिनांक ३१-०८-२०२३ को सेवानिवृत्त श्री राधेश्याम, दफ्तरी के जी०पी०एफ० लेखा संख्या-GRDC-६३ में जमा धनराशि (माह अगस्त २०२३ तक ब्याज सहित) रु०- ४०,४२६=०० (रूपये चालीस हजार चार सौ छब्बीस मात्र) के अन्तिम भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

प्रो० (डॉ) दीपा अग्रवाल

प्राचार्य

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रामपुर (उ० प्र०)।



प०सं- ५०६-१० /जी०पी०एफ०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा डिग्री सेवा अनुभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी।
5. गार्ड फाईल।

प्राचार्य

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

रामपुर (उ०प्र०)।



GPF PAYMENT ORDER TEACHING FACULTY

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ० प्र०)।

आदेश संख्या:- 36

/जी0पी0एफ0/2023-24

दिनांक:- 3-10-2023


कार्यालय ज्ञाप

डॉ० सहदेव, प्रोफेसर- रसायन विज्ञान, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर की दिनांक 30-06-2023 को अधिवर्षता के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति पर उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या- Coedu-5546 में सामान्य भविष्य निधि पासबुक एवं महालेखाकार के मिलान पत्र संख्या- निधि-4/मिलान डायरी-152/OD-385/66535/104447 दिनांक 02-03-2023 के अनुसार 90 प्रतिशत रु० 10,92,360= (दस हजार व्यान्वे हजार तीन सौ साठ मात्र) का भुगतान किया जा चुका है इस परिप्रेक्ष में महालेखाकार के पत्र- निधि-4/FP-125/45208/FPR.3012/49327 दिनांक 21-09-2023 के अनुसार अन्तिम 10 प्रतिशत भुगतान रु० 2,96,336,= (रूपये दो लाख छव्यान्वे हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) डॉ० सहदेव को भुगतान की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


प्रो० (डॉ०) दीपा अग्रवाल

प्राचार्य,

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय



पृ०सं०- 511-15 /जी0पी0एफ0/2023-24 दिनांक उक्तवृत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा डिग्री सेवा अनुभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।
4. डॉ० सहदेव, सेवानिवृत्त प्रोफेसर- रसायन विज्ञान।
5. गार्ड फाईल।


प्राचार्य,

राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,



GIS PAYMENT - NON-TEACHING

G.I.S. FORM -29

Letter No.: GIS/TRY/202305324
Date : 20 OCT 2023

From :
Treasury Officer,
RAMPUR

To,
PRINCIPAL GOVT.RAZA POST GRADUATE COLLEGE
RAMPUR

Subject: Evaluation of payable amount on the basis of GIS Claim of
Mr./Ms. SHRI RADHEY SHYAM,DAFTARI.

Ref: Claim No. 202305324

Sir,

After the evaluation of interest on the basis of deductions shown
in the GIS Claim of Mr./Ms. **SHRI RADHEY SHYAM,DAFTARI**

Total Savings + Interest (8011001070201): **113831.00**
(In Words) - RS. ONE LAKH THIRTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY ONE ONLY

Insurance Amount (8011001070101): **0.00**
(In Words) - N I L

Payable Amount : **113831.00**
(In Words) - RS. ONE LAKH THIRTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY ONE ONLY

- Kindly submit Koshagar Samanya Deyak Praptra (105) bills for payment
under the above mentioned Account Head Codes, with the first copy of GIS
Claim (Form-26/27) and calculation sheet (Form-11).

According to Government Order, Bills must be submitted in treasury within
two days from the date of receipt of this letter and Cheques must be
delivered to Claimant/Beneficiaries within three days from the date of
receipt of cheques from treasury.

Yours Sincerely

Enclosures: As above


(Treasury Officer)



20/10/23.

GIS PAYMENT - NON-TEACHING

U.P. GOVERNMENT
U.P. STATE EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME

Printing Date: 18-NOV-2023

GIS FORM - 11

Treasury : (1700)-RAMPUR

Page No. # 1

Claim No. - 202305347 NON-POLICE CLASS - IV (NON GAB.)

Employee Name : SHRI HARI CHAND
 Father/Husband : LT.SH.CHRMOTAY LAL
 Designation : SWACHHKAR
 DDO (Code-4578) : PRINCIPAL GOVT.RAZA POST GRADUATE COLLEGE, RAMPUR
 Separation Cause : RETIREMENT - (FORM-26)

SUBSCR- IPTION	SAVING PART	FROM DATE	TO DATE	MONTHLY INST.	PREMIUM	SAVINGS (A)	INTEREST (B)	SAV.+INTR. (C)=(A)+(B)
50.00	21.00	01-MAY-2000	30-MAY-2008	103	3090.00	2163.00	944.26	3107.26
100.00	70.00	01-JUN-2008	31-OCT-2023	282	20990.00	14693.00	19184.28	33877.28

Installments	:	282	Savings + Interest :	33877.00
Premium Amount	:	20990.00	Insurance Amount :	0.00
Saving Amount	:	14693.00	Additional Amount :	0.00
Interest Amount	:	19184.28		

Amount Payable :
 Total Savings + Interest : 33877.00 (8011001070201)
 Insurance Amount : 0.00 (8011001070101)

Amount Sanctioned :
 Savings + Interest : 33877.00
 IN WORDS : RS. THIRTY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY SEVEN ONLY

Separate Bills to be submitted for saving and insurance under the above heads.

SR. NO.	AMOUNT (RS.)	SHARE (%)	BENIFICIARY NAME	RELATION
1	33877.00	100.00000	SHRI HARI CHAND	SELF

H
Accountant

रिचर्ड कौशिक
प्रमुख

UP GOVERNMENT LOAN RULES

11

शासकीय ऋण तथा अग्रिम

सरकारी सेवकों को उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु उनके सेवाकाल में ऋण एवं अग्रिम की सुविधा का प्राविधान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 के अध्याय 11 में सन्निहित है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा भी विविध अग्रिमों से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है।

1. विविध अग्रिम एवं उनके स्वीकर्ता प्राधिकारी

ऋण तथा अग्रिम का प्रकार

क— भवन निर्माण / क्य अग्रिम

स्वीकर्ता प्राधिकारी

सचिव, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, जनपद न्यायाधीश

ख— भवन मरम्मत / विस्तार अग्रिम

तदैव

ग— मोटर कार अग्रिम

तदैव

घ— मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड अग्रिम

तदैव

ड•— व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम

तदैव

च— साइकिल अग्रिम

कार्यालयाध्यक्ष

छ— यात्रा भत्ता अग्रिम

कार्यालयाध्यक्ष

ज— स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अग्रिम

कार्यालयाध्यक्ष

झ— वेतन अग्रिम

कार्यालयाध्यक्ष

ञ— चिकित्सा अग्रिम

कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शासन

सामान्यतः राजपत्रित अधिकारियों हेतु कम संख्या 1(क) से लेकर कम संख्या 1(ड•) तक के अग्रिमों के लिए स्वीकर्ता प्राधिकारी विभागीय सचिव हैं लेकिन कठिपय विभागों में इन अधिकारों का प्रतिनिधायन विभागाध्यक्ष को किया गया है। राजस्व, न्याय तथा आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को छोड़कर शेष विभागों के कर्मचारियों के स्वीकर्ता प्राधिकारी सामान्यतः विभागाध्यक्ष ही हैं। कम संख्या 1(च) से लेकर 1(ज) तक के अग्रिमों के लिए सभी श्रेणी के सरकारी सेवकों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) हेतु स्वीकर्ता प्राधिकारी कार्यालयाध्यक्ष ही हैं। चिकित्सा अग्रिम के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा तक क्रमशः कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष अथवा शासन सक्षम स्वीकर्ता प्राधिकारी हैं।

2. महत्वपूर्ण बिन्दु

- 2.1 उपरोक्त सभी प्रकार के अग्रिम स्थाई कर्मचारियों के साथ ही साथ ऐसे अस्थाई कर्मचारियों को भी अनुमन्य हैं जो तीन वर्षों या उससे अधिक अवधि से अस्थाई चले आ रहे हैं व तैनाती की तिथि से निरन्तर कार्य कर रहे हैं, अर्थात् सेवा में व्यवधान नहीं है तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक है। तदर्थं तथा संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अग्रिम अनुमन्य नहीं है।
- 2.2 अस्थाई सरकारी सेवकों को भवन निर्माण / मरम्मत / क्य हेतु अग्रिम स्वीकृत किये जाने की दशा में दो स्थायी राज्य सेवकों, जो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण अदायगी होने तक की अवधि से पूर्व सेवानिवृत न होने वाले हों, की ओर से फार्म 25 डी में बाण्ड प्रस्तुत करके जमानत देनी होगी। सम्बन्धित राजसेवक के स्थाईकरण के बाद स्थायी सेवकों द्वारा दी गयी जमानत स्वतः समाप्त हो जायेगी। अस्थाई सरकारी सेवक को यदि वाहन अग्रिम स्वीकृत किया जाता तो फार्म नं 25सी में दो स्थाई सरकारी सेवकों की जमानत ली जायेगी।

- 2.3 नियमानुसार ऐसे कर्मचारी को ही भवन निर्माण/क्रय और भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है जिनकी सेवाकाल 10 वर्ष/5 वर्ष से अधिक अवशेष हो। 10 वर्ष/5 वर्ष से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व शासन के वित्त विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक है।
- 2.4 प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को पैतृक विभाग द्वारा ही अग्रिम स्वीकृत किया जाना चाहिए। यदि किन्हीं अपरिहार्य मामलों में वाह्य सेवक अग्रिम स्वीकृत करना चाहते हों तो पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करके ही अग्रिम स्वीकृत किया जाना चाहिए।
- 2.5 राज्य सेवा के अधिकारियों जैसे पी0सी0एस0, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा आदि को अग्रिम हेतु आवेदन पत्र अपने पैतृक विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए तथापि यदि किसी मामले में कोई विभाग राज्य सेवा अधिकारी को विशेष परिस्थिति में अग्रिम देना ही चाहता है तो पैतृक विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक है।
- 2.6 निलम्बित एवं अनुशासनिक कार्यवाही हेतु विचाराधीन सरकारी सेवकों को अग्रिम नहीं स्वीकृत किया जा सकता है।
- 2.7 किसी कर्मचारी को उसके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय अग्रिम नियमानुसार एक ही बार अनुमन्य है। अतः एक बार से अधिक उक्त अग्रिम स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।
- 2.8 भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने के पाँच वर्ष के पश्चात ही भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। 5 वर्ष की गणना उस तिथि से की जाती है जिस तिथि से भवन—निर्माण/क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम की संपूर्ण धनराशि में से कम से कम दो तिहाई धनराशि आहरित कर ली गई है।

3. गृह निर्माण/क्रय अग्रिम

- 3.1 भूखण्ड/भवन के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—पाँच भाग—1 के नियम 244—आई के अपेक्षानुसार स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा इस आशय की संतुष्टि आवश्यक है कि जिस संपत्ति के लिए अग्रिम स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है वह निर्विवाद एवं भारमुक्त है। संपत्ति को अग्रिम की प्रतिभूति में शासन के पक्ष में बन्धक रखने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है और संपत्ति पर कर्मचारी का निर्विवाद अधिकार है या अर्जित करने पर निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है।
- 3.2 देश के किसी भी स्थान पर गृह निर्माण/क्रय हेतु अग्रिम अनुमन्य है। वह स्थान कर्मचारी के कार्य स्थान पर हो सकता है या भारत में किसी अन्य स्थान पर जहाँ वह सेवानिवृति के बाद स्थायी तौर पर रहना चाहता हो। (प्रस्तर 244(अ))
- 3.3 कर्मचारी की पत्नी/पति, पिता, माता, सगे भाई/भाईयों, पुत्र/पुत्रों के साथ संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति पर भी अग्रिम अनुमन्य है।

4. गृह निर्माण/क्रय तथा गृह मरम्मत विस्तार अग्रिम स्वीकृत करने हेतु अनर्हताएँ

- 4.1 कर्मचारी के पास पैतृक भवन के अतिरिक्त कोई अन्य भवन भी होना।
- 4.2 कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन हो तथा अस्थाई होने की दशा में नियुक्ति तर्दर्थ और संविदा के आधार पर हो।
- 4.3 पति/पत्नी दोनों के राज्य कर्मचारी होने की दशा में उस नगर में जहाँ अग्रिम से गृह निर्माण/क्रय किया जाना प्रस्तावित है, आवेदक कर्मचारी की पत्नी/पति (यथा स्थिति) उसके अवयस्क बच्चे का कोई भवन होना।
- 4.4 केवल भूखण्ड के क्रय हेतु अग्रिम अनुमन्य नहीं है।

- 4.5 किराया क्रय पद्धति के आधार पर क्रय करके अर्जित की जाने वाली संपत्ति के लिए अग्रिम अनुमन्य नहीं है।
- 4.6 आवेदक कर्मचारी की पत्नी/पति के रिश्तेदारों के नाम की संपत्ति पर अथवा उसके नाम से अथवा उसके साथ संयुक्त स्वामित्व में संपत्ति अर्जित करने के लिए अग्रिम अनुमन्य नहीं है।
- 4.7 यदि कोई सरकारी सेवक भारत के बाहर प्रतिनियुक्त पर जा रहा है तो उसे अग्रिम देय नहीं है।

5. गृह निर्माण/मरम्मत/विस्तार अग्रिम की राशि

(शासनादेश संख्या बी-3-1973 / दस-2010-100(9) / 88-भवन, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 द्वारा संशोधित)

- 5.1 भवन के निर्माण/क्रय के लिए गृह निर्माण अग्रिम की सीमा अब 34 माह का बैण्ड वेतन या ₹7,50,000, जो भी कम हो, होगी। उसकी व्याज सहित वसूली अधिकतम 240 मासिक किश्तों में होगी।
- 5.2 भवन मरम्मत/विस्तार के लिए अग्रिम की सीमा 34 माह का बैण्ड वेतन या ₹1,80,000, जो भी कम हो, होगी। इसकी व्याज सहित वसूली अधिकतम 120 किश्तों में होगी।
- 5.3 अग्रिम की वास्तविक रूप से देय राशि भवन निर्माण/मरम्मत/क्रय/विस्तार की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी।
- 5.4 बैण्ड वेतन का आशय मूल वेतन में ग्रेड वेतन को घटाकर है।

6. प्रतिदान हेतु क्षमता (शासनादेश संख्या बी-3-1875 / दस-2006-100(9) / 88, दिनांक 23-08-2006 द्वारा संशोधित)

- 6.1 भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रतिदान हेतु क्षमता निम्न आधार पर आँकी जायेगी—

अवशेष सेवा अवधि	प्रतिदान हेतु क्षमता का स्लैब
(1) 20 वर्ष के बाद सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी।	मूल वेतन का 40 प्रतिशत।
(2) 10 वर्ष के पश्चात किन्तु 20 वर्ष से पहले सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी।	मूल वेतन का 40 प्रतिशत अथवा अधिवर्षता आनुतोषिक के 65 प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूल वेतन का 40 प्रतिशत।
(3) 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी।	मूल वेतन का 50 प्रतिशत अथवा अधिवर्षता आनुतोषिक के 75 प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत।

- 6.2 प्रतिदान हेतु क्षमता का आशय यह है कि प्रस्तावित अग्रिम की प्रतिदान हेतु मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित धनराशि से अधिक नहीं होगी। जिन मामलों में उपर्युक्त प्रस्तर 5.1 तथा 5.2 के अनुसार अनुमन्य अग्रिम के आधार पर मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैब से अधिक आगणित हो रही हो, उनमें स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की राशि उस सीमा तक कम कर दी जायेगी जिसके आधार पर मासिक किश्त की राशि ऊपर निर्धारित स्लैब से अनधिक हो जाय।
- 6.2 किसी कर्मचारी की प्रतिदान क्षमता निर्धारित करते समय यह भी देखा जायेगा कि स्वीकृत अग्रिम की वसूली हेतु जो किश्तों की राशि निर्धारित की जा रही हो, उसे सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से पहले से की जा रही कटौतियों के प्रतिप्रेक्ष्य में वसूल करना संभव हो।

6.3 ग्रेच्युटी से उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा जब कर्मचारी उक्त आशय का लिखित अनुरोध करें। अधिवर्षता आनुतोषिक की गणना उस काल्पनिक मूल वेतन के आधार पर की जायेगी, जो सम्बन्धित कर्मचारी अपनी अधिवर्षता के समय वर्तमान वेतनमान में अहंकारी सेवा पूरी करने पर आहरित करेगा। यदि भविष्य में ग्रेच्युटी की धनराशि में पुनरीक्षण के फलस्वरूप कोई वृद्धि हो जाती है तो ग्रेच्युटी में ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर पूर्व में स्वीकृत अग्रिम की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

7. अधिकतम लागत सीमा (शासनादेश संख्या बी-3-1973/दस-2010-100(9)/88, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010)

- 7.1 भवन निर्माण/क्रय की न्यूनतम लागत सीमा ₹7.50 लाख तथा अधिकतम लागत सीमा वेतन बैण्ड में वेतन का 134 गुना अथवा ₹30.00 लाख, जो भी कम हो, होगी किन्तु प्रशासकीय विभाग यदि किसी विशिष्ट मामले में संतुष्ट है तो वह उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करके उक्त निर्धारित लागत सीमा में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
- 7.2 सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले भवनों के सम्बन्ध में उक्त लागत सीमा में भूखण्ड का मूल्य तथा विकास व्यय को सम्मिलित समझा जायेगा।

8. वाहन अग्रिम

- 8.1 सरकारी कर्मचारियों को मोटर कार (शासनादेश संख्या बी-3-1974/दस-2010-100(9)/88-भवन, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 द्वारा संशोधित) तथा मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड साइकिल (शासनादेश संख्या बी-3-1975/दस-2010-100(9)/88-भवन, दिनांक 17 अक्टूबर, 2010 द्वारा संशोधित) क्रय हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—पाँच भाग—1 के प्रस्तर 245, 246 तथा 246ए में दिये गये नियमों के अनुसार अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।
- 8.2 राज्य कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड तथा मोटर कार के क्रय के लिए दूसरे अथवा बाद के अवसरों के लिए अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा जबकि पिछले अग्रिम के आहरण तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो। लेकिन मोटर कार के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों में चार वर्ष का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा—
- (क) यदि पहला अग्रिम मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड के लिए लिया गया हो, अब अग्रिम मोटरकार के लिए मौँगा जा रहा हो।
- (ख) जब कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में तैनाती होने या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त होने पर अपनी मोटरकार को बेंच देता है और भारत में मोटरकार के बिना वापस आता है।
- (ग) जब कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में नियमित पद पर नियुक्त होता है और अपने साथ अपनी मोटरकार को लेकर नहीं आता है।
- 8.3 वाहन अग्रिम की स्वीकृति के आदेश स्वीकृति के दिनांक से एक माह तक विधिमान्य होते हैं। अतः स्वीकृति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर अग्रिम का आहरण होना चाहिए।

- 8.4 सामान्यतः दूसरे प्रकार के वाहन अग्रिम तभी स्वीकृत किये जा सकते हैं, जबकि पहले प्रकार के वाहन हेतु लिये गये अग्रिम की वसूली मयब्याज पूरी हो चुकी हो।
- 8.5 वाहन के लिए अग्रिम तभी स्वीकृत किया जायेगा यदि स्वीकृता प्राधिकारी संतुष्ट हो कि सम्बन्धित सरकारी सेवक के लिए वाहन रखना सार्वजनिक हित में है।
- 8.6 अग्रिमों की अधिकतम सीमा, वसूली की किश्तें और अग्रिम की अनुमन्यता हेतु कर्मचारी के न्यूनतम वेतन का विवरण निम्नवत है—

क्रम	वाहन का विवरण	अनुमन्यता हेतु कर्मचारी का बैण्ड वेतन	प्रथम बार अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा	दूसरे अथवा बाद के अवसरों पर स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की अधिकतम सीमा	वसूली की अधिकतम मासिक किश्तें
1	2	3	4	5	6
1	मोटरकार	न्यूनतम ₹19,530	11 माह का ग्रेड वेतन घटाकर वेतन या ₹1,80,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	11 माह का ग्रेड वेतन घटाकर वेतन या ₹1,60,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	200
2	मोटरसाइकिल / स्कूटर	न्यूनतम ₹8,560	6 माह का मूल वेतन या ₹30,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	5 माह का मूल वेतन या ₹24,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।	70
3	मोपेड / आटोसाइकिल	न्यूनतम ₹5,060	₹15,000 या वाहन का पूर्वानुमानित मूल्य, जो भी कम हो।	₹15,000 या वाहन का पूर्वानुमानित मूल्य, जो भी कम हो।	70
4	साइकिल	अधिकतम ₹9300	₹1,500 या साइकिल का मूल्य,	30

9. व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम

- 9.1 शासनादेश संख्या बी-3-1077/दस-2010-100(9)/88-भवन, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 (जारी होने की तिथि से प्रभावी) द्वारा उन राज्य कर्मचारियों को जिनका बैण्ड वेतन ₹14,880 या उससे अधिक हो व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने के लिए ₹30,000 या कम्प्यूटर का अनुमानित मूल्य (सीमा शुल्क छोड़कर, यदि कोई हो), जो भी कम हो, स्वीकृत किया जा सकता है।
- 9.2 अग्रिम की वसूली मयब्याज अधिकतम 150 मासिक किश्तों में की जायेगी। इस अग्रिम पर ब्याज की दर भी वही होगी जो मोटरकार अग्रिम पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 9.3 अग्रिम आहरण के पूर्व उपरोक्त शासनादेश में प्रपत्र संख्या 25 ए में कर्मचारी को अनुबंध पत्र भरना होगा तथा अग्रिम स्वीकृति के एक माह के अंदर कर्मचारी को फार्म नं० 25 पर शासन

- के पक्ष में बंधक रखा जाना होगा। अस्थाई राज्य कर्मचारियों की दशा में प्रपत्र 25 सी में एक स्थायी कर्मचारी की जमानत देनी होगी जो अग्रिमों की वसूली से पूर्व सेवानिवृत्त न हो।
- 9.4 पर्सनल कम्प्यूटर के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकर्ता प्राधिकारी को समाधान होना चाहिए कि सरकारी कार्य के हित में कर्मचारी को व्यक्तिगत कम्प्यूटर रखना आवश्यक है।

10. अग्रिमों का आहरण

- 10.1 भवन निर्माण के लिए अग्रिम आहरण हेतु स्वीकृति सामान्यतया कई किश्तों में की जाती है। यदि अग्रिम कई किश्तों में स्वीकृत किया जाता है तो प्रत्येक किश्त की धनराशि इतनी होनी चाहिए कि इसका प्रयोग तीन महीने में किया जा सके। अगली किश्त निर्गत करने के पूर्व सम्बन्धित सरकारी सेवक से इस आशय का उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि पूर्व में निर्गत किश्त की धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया था। यदि अग्रिम की धनराशि कम है या स्वीकर्ता प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का उपयोग आहरण के तीन माह के अन्दर संभव है तो ऐसी दशा में अग्रिम की धनराशि के एकमुश्त आहरण की स्वीकृति भी दी जा सकती है।
- 10.2 सभी प्रकार के अग्रिमों के स्वीकृति विषयक आदेश स्वीकृति के दिनांक से एक मास या 31 मार्च, जो भी पहले हो, तक ही प्रभावी होते हैं अर्थात् इस अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद उक्त आदेश के आधार पर कोषागार से आहरण संभव न होगा।
- 10.3 अग्रिमों की स्वीकृति शासन के वित्त विभाग से बजट आबंटन प्राप्त होने के बाद ही की जानी चाहिए। प्रत्येक दशा में आबंटित धनराशि से अधिक धन वितरित नहीं किया जाना चाहिए। अग्रिम का आहरण तभी किया जाना चाहिए जब उसका वितरण आवश्यक हो। यदि आहरित अग्रिम की संपूर्ण धनराशि या उसके कुछ अंश का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसे तुरन्त सम्बन्धित लेखाशीर्षक में वापस किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के आहरण हेतु निर्धारित लेखाशीर्षक निम्नवत् हैं—

क्रम	अग्रिम का प्रकार	मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार
(1)	गृह निर्माण के लिए अग्रिम	7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	00	201 गृह निर्माण अग्रिम	01	00
(2)	गृह मरम्मत / विस्तार के लिए अग्रिम	7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	00	201 गृह निर्माण अग्रिम	02	00
(3)	मोटर वाहन के लिए अग्रिम	7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	00	202 मोटर गाड़ियों के खरीद के लिए अग्रिम	00	00
(4)	अन्य गाड़ियों की खरीद के लिए अग्रिम	7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	00	203 अन्य वाहनों के लिए अग्रिम	00	01

- 10.4 अग्रिमों आहरण के पूर्व कर्मचारी द्वारा अनुबंध किया जाता है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के फार्म प्रयोग किये जाते हैं इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है—

क्रम	अग्रिम का प्रकार	आहरण के पूर्व प्रयुक्त किये जाने वाले फार्म
1	भवन निर्माण अग्रिम	22 ए
2	भवन मरम्मत / विस्तार अग्रिम	22 ए

वित्त—पथ 2011

3	मोटर कार अग्रिम	25 ए
4	मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	25 ए
5	व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम	25 ए

11. अग्रिम की वसूली

राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार, मोटरकार/कम्प्यूटर/मोटर साइकिल/मोपेड/साइकिल क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम की वसूली के सम्बन्ध में प्राविधान वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—पाँच भाग—1 के प्रस्तर 244 डी, 245 डी, 246 (3) तथा 247 (3) में दिये गये हैं।

- 11.1 भवन निर्माण/क्रय विस्तार अग्रिम यदि एकमुश्त स्वीकृत किया जाता है तो वसूली धन के आहरण के बाद मिलने वाले दूसरे वेतन से प्रारम्भ की जानी चाहिए। यदि अग्रिम का आहरण एक से अधिक किश्तों में किया जाता है तो प्रथम किश्त की वसूली आहरण के बाद मिलने वाले चौथे वेतन से प्रारम्भ की जानी चाहिए। यदि अग्रिम, भूखण्ड के क्रय एवं उस पर भवन निर्माण अथवा पूर्णतया धवस्त भवन के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया हो तो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के अनुरोध पर एक से अधिक किश्त में अवमुक्त धनराशि की वसूली प्रथम किश्त की धनराशि के आहरण के बाद मिलने वाले तेरहवें वेतन से भी प्रारम्भ की जा सकती है बशर्ते नियमानुसार अग्रिम के ब्याज की वसूली कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित हो जाय।
- 11.2 मोटर कार/कम्प्यूटर, मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड एवं साइकिल अग्रिम की वसूली अग्रिम आहरण के बाद मिलने वाले दूसरे वेतन से प्रारम्भ की जायेगी।
- 11.3 स्वीकृत अग्रिम के मूलधन की वसूली पूर्ण होने के तुरन्त बाद अग्रिम पर देय ब्याज की वसूली प्रारम्भ की जायेगी। देय ब्याज की पुष्टि महालेखाकार, ३०प्र० से कराई जायेगी। जब तक महालेखाकार द्वारा प्रारम्भिक आगणन की अंतिम रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है, तब तक प्रारम्भिक आगणन के अनुसार ही ब्याज की कटौती की जायेगी। आगणित ब्याज की वसूली एक या एक से अधिक किश्तों में की जा सकती है लेकिन सामान्यतया मासिक किश्त की धनराशि मूलधन की किश्त से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 11.4 अग्रिमों की वसूली निर्धारित किश्तों में सम्बन्धित सरकारी सेवक के प्रत्येक माह के वेतन से की जायेगी। सामान्यतया अंतिम किश्त को छोड़कर मासिक किश्त की धनराशि समान होनी चाहिए।
- 11.5 किसी भी कर्मचारी जिसे भवन निर्माण या अन्य कोई अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया है, के दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण की स्थिति में उसके अंतिम वेतन प्रमाणपत्र में स्वीकृत अग्रिम, अग्रिम की वसूल की गई मासिक किश्तों की संख्या तथा राशि और वसूल की जाने वाली किश्तों की संख्या तथा अवशेष राशि का पूर्व विवरण दिया जाना चाहिए।

12. अग्रिम पर ब्याज

- 12.1 अग्रिमों पर ब्याज की गणना एवं वसूली वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—पाँच भाग—1 के नियम 242 के नीचे दिये गये नोट सं० २ में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।
- 12.2 ब्याज का आगणन प्रत्येक माह के अंतिम दिन के मूलधन—अवशेष के आधार पर किया जाता है।
- 12.3 किसी प्रशासनिक कारण से या वेतन पर्ची (ऐ स्लिप) के अभाव में वेतन का आहरण किसी माह में संभव नहीं हो पाता है, फलस्वरूप अग्रिम के किश्तों की अदायगी भी नहीं हो पाती है, ऐसी दशा में आगामी महीनों में वेतन आहरण किये जाने के बावजूद ऐसा माना जायेगा कि

किश्तों की कटौती प्रत्येक माह नियमित रूप से की गयी है। तदनुसार ब्याज का आगणन भी किया जायेगा। अवकाश वेतन के आहरण में भी यही सिद्धान्त लागू होगा। लेकिन जानबूझकर यदि किसी के द्वारा वेतन आहरण प्रत्येक मास में न करके विलम्ब से किया जाता है तो उसे नियमित कटौती की श्रेणी में नहीं माना जायेगा और ऐसे सरकारी कर्मचारी को ब्याज में अनुमन्य छूट नहीं दी जायेगी।

- 12.4 यदि आहरित अग्रिम को 30 दिनों के भीतर वापस जमा किया जाता है तो ब्याज आगणन पूरे महीने के लिए न करके वास्तविक दिनों के लिए किया जायेगा।
- 12.5 यदि अग्रिम का आहरण कई किश्तों में किया जाता है तो प्रथम किश्त के आहरण वाले वित्तीय वर्ष में घोषित ब्याज दर को आधार मानकर ब्याज की गणना की जायेगी।
- 12.6 अग्रिमों पर ब्याज की गणना प्रत्येक माह के रिड्यूसिंग बैलन्स के योग को आधार मानकर निम्न सूत्र के माध्यम से किया जाता है—

$$\text{रिड्यूसिंग बैलन्स का योग} \times \text{ब्याज की दर}$$

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{रिड्यूसिंग बैलन्स का योग} \times \text{ब्याज की दर}}{1200}$$

- 12.7 शासनादेश संख्या बी-3-1734/दस-2006-2(41)/77-ब्याज, दिनांक 25-07-2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 तथा अनंतर के लिए भवन निर्माण/मरम्मत हेतु ब्याज दरें निम्नवत् घोषित की गई हैं—

क्रम	स्वीकृत अग्रिम की राशि	वार्षिक ब्याज दर
1	₹50,000 तक	7.5 %
2	₹1,50,000 तक	9.0 %
3	₹5,00,000 तक	11.0 %
4	₹7,50,000 तक	12.0 %

- 12.8 उक्त शासनादेश द्वारा ही अन्य अग्रिमों हेतु ब्याज दरें निम्नवत् घोषित की गई हैं—

क्रम	अग्रिम का प्रकार	वार्षिक ब्याज दर
1	मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम	14.0 %
2	मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	10.5 %
3	साइकिल अग्रिम	7.5 %

- 12.9 वित्तीय नियम संग्रह खंड-पाँच भाग-1 के प्रस्तर 242 के नीचे दिये गये नोट संख्या 2 के अनुसार किसी सरकारी सेवक की असामयिक मृत्यु की दशा में कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिम में से यदि किसी भाग की वसूली शेष रह गयी हो तो कर्मचारी के आश्रितों के देय मृत्यु आनुतोषिक अथवा अवकाश वेतन से अग्रिम के शेष भाग की वसूली की जायेगी।

- 12.10 शासनादेश संख्या बी-3-4086/दस-94-20(24)/92 दिनांक 31-10-1994 के अनुसार सेवाकाल में राज्य कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/विस्तार/मरम्मत अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, बशर्ते अग्रिम के मूलधन की समस्त अवशेष धनराशि की वसूली सुनिश्चित कर ली गयी हो। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर ब्याज की गणना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की मृत्यु की तिथि तक ही की जायेगी। परन्तु जिन प्रकरणों में देय ब्याज की आंशिक वसूली कर ली गयी है, अवशेष ब्याज की धनराशि ही माफ की जायेगी।

- 12.11 ब्याज की माफी का अधिकार अग्रिम स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को प्रदान किया गया है लेकिन ब्याज आगणन की पुष्टि महालेखाकार से करना होगा।
- 12.12 यदि अग्रिम के किश्तों का भुगतान नियमित रूप से किया गया है अर्थात् किश्तों के भुगतान में यदि अनधिकृत व्यवधान नहीं है, (प्रशासकीय कारण या वेतन पर्ची के अभाव में वेतन आहरण में विलम्ब होने से किश्तों की कटौती में भी विलम्ब हो जाता है, इसे व्यवधान नहीं माना जायेगा) तो ब्याज दर में 2.5% की छूट दी जाती है।
- 12.13 कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु की दशा में मोटर वाहन/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिमों पर भी देय ब्याज की गणना मृत्यु की तिथि तक ही की जायेगी। लेकिन मृत्यु की तिथि तक आगणित ब्याज की वसूली की जानी है। इस प्रकरण में ब्याज भवन निर्माण/मरम्मत की भाँति माफ नहीं किया जाता है।

13. विभिन्न प्रकार के अग्रिमों पर ब्याज की वसूली हेतु शासन द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक

क्रम	अग्रिम का प्रकार	मुख्य लेखा शीर्षक	उपमूलेंशी०	लघुशीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शी०
1	गृह निर्माण के अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	01
2	मरम्मत एवं विस्तार अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	05
3	मोटर वाहन अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	04
4	कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	02
5	अन्य सवारियों के अग्रिम पर ब्याज	0049	04	800	02	03

14. अग्रिमों से सम्बन्धित विभिन्न प्रपत्र, अभिलेख और लेखा प्रक्रिया

- 14.1 अग्रिमों से क्रय किये गये संपत्ति को सरकार के पक्ष में बंधक रखना अनिवार्य होता है। इस हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच भाग-1 में विभिन्न प्रकार के फार्म दिये गये हैं। इनका विवरण निम्नवत् है—

क्रम	प्रपत्र संख्या	विवरण
1	22	इस प्रपत्र का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब कर्मचारी के पास पूर्ण स्वामित्व वाला भूखंड उपलब्ध है, जिस पर भवन निर्माण हेतु अग्रिम चाहता है अथवा पहले से भवन है जिसके मरम्मत एवं विस्तार हेतु अग्रिम चाहता है। ऐसी दशा में संपत्ति को रजिस्टर्ड बंधक कराने के बाद ही अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जाती है।
2	22 बी	सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम से पूर्ण स्वामित्व वाले भूखंड को रजिस्टर्ड बंधक रखने हेतु इस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार स्वीकृत अग्रिम से निर्मित पूर्ण स्वामित्व वाले मकान के मरम्मत एवं विस्तार हेतु अग्रिम की दशा में भी प्रपत्र-22 बी का प्रयोग किया जाता है।
3	22 डी	इस प्रपत्र का प्रयोग संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति को रजिस्टर्ड बंधक कराने के लिए किया जाता है।
4	23	पट्टे वाली (लीज) संपत्ति (भूखंड/भवन) के पूर्ण स्वामित्व की दशा में इस प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा

5	23 ए	पट्टे वाली संपत्ति (लीज पर यदि भूखंड भवन उपलब्ध है) यदि संयुक्त स्वामित्व में है तो संपत्ति को रजिओ बंधक कराने के लिए प्रपत्र 23 ए का प्रयोग किया जाता है।
6	25	इस प्रपत्र का प्रयोग स्वीकृत अग्रिम से क्रय किये गये सभी प्रकार प्रकार के वाहनों को सरकार के पक्ष में बन्धक कराने के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर अग्रिम के लिए भी इसी प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है।
7	25 सी	यदि वाहन या कम्प्यूटर अग्रिम अस्थायी सरकारी सेवक को स्वीकृत किया जाता है तो सरकार के पक्ष में बन्धक कराने के लिए प्रपत्र 25 सी का प्रयोग किया जाता है।
8	25 डी	यदि अस्थायी सरकारी सेवक को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तो बन्धक कराने के लिए प्रपत्र-25 डी का प्रयोग किया जायेगा।

- 14.2 भूमि एवं भवन का रजिओ बंधक, क्रय/निर्माण के चार माह के भीतर सरकारी कर्मचारी द्वारा राज्यपाल के पक्ष में किया जायेगा। जबकि वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम की दशा में अग्रिम आहरण की तिथि से एक माह के भीतर रजिओ बंधक कर्मचारी द्वारा राज्यपाल के पक्ष में किया जायेगा। पंजीकृत बंधक पत्र स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। उल्लेखनीय है कि इसमें स्टाम्प पेपर का प्रयोग नहीं होता है।
- 14.3 अग्रिम आहरण के पश्चात स्वीकर्ता प्राधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अग्रिम का लेखा, महालेखाकार कार्यालय में खुल गया है तथा महालेखाकार द्वारा आहरण एवं वसूलियों का विस्तृत लेखा रखा जा रहा है और वसूली नियमित रूप से हो रही है। व्यय के विभागीय ऑकड़ों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आकड़ों से मिलान हेतु जब भी मिलान दल महालेखाकार कार्यालय जायें, अपने साथ सम्बन्धित कर्मचारी को स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित आवश्यक विवरण जैसे— स्वीकृति आदेश, कोषागार का नाम, वाउचर सं0 व दिनांक, वाउचर की धनराशि आदि लेकर जायें और व्यय के लिए विभागीय ऑकड़ों के मिलान के साथ ही उक्त कार्यवाही को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 14.4 कार्यालय में विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के लिए अलग—अलग पंजियाँ रखी जाती हैं। किसी कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृत किये जाने की दशा में उक्त पंजियों में अग्रिम सम्बन्धी समस्त विवरणों— यथा सरकारी कर्मचारी का नाम, पद, अग्रिम की प्रकृति, स्वीकृति आदेश की संख्या, स्वीकृत धनराशि, वसूली की मासिक दर, ब्याज की दर, भुगतान की गयी अग्रिम की धनराशि, वाउचर संख्या व तिथि का अंकन किया जाता है। उक्त सूचनाओं के साथ वसूली का लेखा भी अग्रिम पंजी के उसी पृष्ठ पर प्रारम्भ किया जाता है।
- 14.5 यदि अग्रिम के मूलधन/ब्याज की अधिक वसूली हो गई है तो शासनादेश संख्या—वी—3—3694 / दस— 1998 दिनांक 06—10—1998 के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद से उक्त धनराशि की वसूली की पुष्टि होने के पश्चात प्रश्नगत धनराशि की वापसी संगत अनुदान के सुसंगत लेखाशीर्षक जिसके अधीन वेतन आहरित किया जा रहा है/था, के मानक मद 42—अन्य व्यय से आहरित कर वापस की जायेगी।
- 14.6 राज्य सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार के व्याज रहित अग्रिम स्वीकृत किये जाते हैं—
- (क) यात्रा भत्ता अग्रिम, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अग्रिम, उच्च अध्ययन तथा शासन की स्वीकृति से प्रशिक्षण पर जाने की दशा में मौलिक वेतन तथा अनुमन्य अनुमानित स्थानान्तरण भत्ते की धनराशि अग्रिम के रूप में देय है। (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—पाँच भाग—1 का प्रस्तर—249 ए)

- (ख) यात्रा भत्ता अग्रिम (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—पाँच भाग—1 का प्रस्तर—249 सी)
- (ग) वेतन अग्रिम, अर्जित अवकाश तथा निजी कार्य पर पर अवकाश की दशा में (यदि चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर अवकाश न लिया गया हो तो देय) (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—पाँच भाग—1 का प्रस्तर—249)

क्रम	अग्रिम का प्रकार	अग्रिम की शर्तें	अनुमन्य धनराशि	अग्रिम वसूली की किश्तें
1	वेतन अग्रिम	स्थानान्तरण या उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान किये जाने की दशा में।	एक माह का मूल वेतन	तीन समान मासिक किश्तों में
2	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अग्रिम	स्थानान्तरण की दशा में।	नियमों में अनुमन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की सीमा तक	एकमुश्त स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक से की जायेगी।
3	यात्रा भत्ता अग्रिम	शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा प्रशिक्षण की स्थिति	तदैव	यात्रा भत्ता देयक से एकमुश्त की जायेगी।
4	यात्रा भत्ता अग्रिम	शासकीय कार्यों हेतु	अनुमानित धनराशि का 90%.	मुख्यालय पर वापसी या 31 मार्च जो भी पूर्व हो
5	अर्जित अवकाश या निजी कार्य पर अवकाश की स्थिति में वेतन अग्रिम	(क) शासकीय सेवक ने कम से कम तीस दिन या एक मास का अवकाश का आवेदन किया हो (ख) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्जित या निजी कार्य पर एक माह के अवकाश की स्थिति में अग्रिम देय नहीं है	अंतिम आहरित वेतन के बराबर	प्रथम अवकाश वेतन से एकमुश्त समायोजन किया जायेगा। यदि एकमुश्त समायोजन संभव नहीं हो पाता है तो आगामी वेतन से किया जायेगा।
6	अवकाश यात्रा सुविधा हेतु अग्रिम स्वीकृत करना	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही अग्रिम स्वीकृति।	अनुमानित व्यय का 90%.	मुख्यालय पर वापसी या 31 मार्च जो भी पूर्व हो एकमुश्त समायोजन किया जायेगा

सामर्थ्यमूलं स्वातंत्र्यं, श्रममूलं च वैभवं
न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्, संघमूलं महाबलं

(शि त स्वतन्त्रता का मूल है परिश्रम समृद्धि का मूल है। न्याय सुराज्य का
मूल है तथा संगठन ताकत का मूल है)

येषां वि या तपो दानं ज्ञानं शीलं गुणो धर्मः।
ते म र्यलोकेभूविभारभूता मनु यरूपेणमृगा चरन्ति॥
(वि या ॥ (क ठन परिश्रम कर पाने क यो)यदानशीलता, शील, गुण
तथा धर्म से विह न व्यक्ति त मृ युलोक्त्वी) पर भार के समान है, ॥
मनु य के रूप म पशु ह) है।